[श्री तेजेन्द्रपाल सिंह सान]

एक या डेढ़ मैगावाट की टरबाईन नहीं लगा सकता है वह पूरी तरह से सरकार द्वारा बनाई जाने वाली बिजली पर डिपैंडैंट हो गया। इत्तिफाक से आज बिजली की कमी है और इण्डस्ट्रीज भी आज बिजली की कमी को झेल रही हैं। आज जो बड़े-बड़े ग्रुप हैं उनकी तो अपनी पॉवर जनरेशन है और उनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो छोटे उद्योग हैं, छोटी इकाईयां हैं और स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज हैं उनमें प्रदेश भर में बहुत भारी समस्या है। उन सभी की वॉयबलीटी बहुत कम है, इस बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं। स्पीकर सर, स्मॉल स्केल इण्डस्ट्री के फाईनांशियल लिमिट 50 लाख रुपये हैं उसको आज के समय में बढ़ा देना चाहिए। स्पीकर सर, जो चीज आज से पहले 1 लाख रुपये की थी वह बढ़कर 5 लाख रुपये और 5 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपये हो गई है। गवर्नमैंट आफ इण्डिया इसको इन्क्रीज करती रही है and probably today it is at 50 lacs per unit. It needs to be increased at least double the amount because an industry of the size whatever was setup in 10 years ago, now takes 10 times more money to be installed. उसकी वजह से अनलैस वे छोटी-छोटी सुविधाएं स्माल स्केल इण्डस्ट्री को गवर्नमैंट आफ इण्डिया ने प्रदान कर रखी हैं। उसमें एक ब्रैकेट आ जाता है जो थोड़ा सा बढ़ने की वजह से वह सुविधाएं जरूरतमंदों को प्रदान नहीं हो पाती हैं। आज एक गांव में एक लुहार ने वैल्डर सैट लगाया हुआ है और वह 12-12 घंटे बिजली के आने का इन्तजार करता रहता है कि कब बिजली आए तो मैं एक टांका लगाऊं। यह जो ग्रामीण इण्डस्ट्री है, छोटे दस्तकार और वैल्डर्ज हैं वे छोटी-छोटी दुकानें लगाकर गांवों में बैठे हुए हैं उनकी छोटी-छोटी बहुत सी समस्याएं हैं। उसमें एक घर के दो-दो और तीन-तीन आदमी काम करते हैं। उनकी तरफ मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह जो इन्दौरा जी गैर सरकारी संकल्प लेकर आए हैं इसमें कोई दम नहीं है क्योंकि आज समय के साथ इन सभी चीजों में परिवर्तन हो गया है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि आज स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज में बड़ी-बड़ी चीजें बनती हैं और यहां तक कि उसमें पंखों के और कम्प्यूटर के पार्ट्स भी बनते हैं। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में एस्कॉर्ट कम्पनी बड़ी होती थी अब तो मध्यम हो गयी है। सर, देहातों में लोग एस्कार्ट के लिए काम करते थे उसके लिए पुर्जे बनाने का काम करते थे। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यह जो एस०सीज० को 100 गज के प्लाट देने की स्कीम बनाई है, उसी तरह से मुख्यमंत्री जी की योजना भी है कि गांवों में हुडा की तर्ज पर ग्रामीण हाऊसिंग एस्टेट बनाएंगे। इसी तरह से उन लोगों को भी इस तरह से कोई जगह देने का प्रावधान करें ताकि वे उद्योग आज जो गांवों से पलायन कर रहे हैं और वापिस आना चाहते हैं, वे वापिस अपने गांवों में चले जाएं। सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि उनके डोमैस्टिक खर्चे कम हो जाएं और वे वहीं पर अपने उद्योग लगा सकें। अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा प्रावधान यह सरकार करेगी तो उन श्रमिकों के लिए, गरीब आदमियों के लिए बहुत अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, छोटे और कुटीर उद्योग हैं उनकी चिन्ता को लेकर एक गैर सरकारी संकल्प माननीय इन्दौरा जी इस सदन में लेकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां इनकी चिन्ता है, वह वाजिब है। मुझे और खुशी होती, सरकार को और खुशी होती अगर रचनात्मा सुझाव, नीतिगत सुझाव जो सही मायनों में

हमारे ग्रामीण उद्योग में लगे व्यक्ति हैं, हथकरघा उद्योग में लगे व्यक्ति हैं, लघु उद्योग में लगे व्यक्ति हैं उनका किस प्रकार से भला हो, के बारे में आते । स्पीकर साहब, इनके भले की और क्या-क्या योजना आ सकती है, इसके बारे में माननीय सदस्य अगर सुझाव देते तो बहुत अच्छा रहता । अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रावधान मैम्बर्ज-डे पर, प्राईवेट मैम्बर्ज रैजोल्यूशन लाने की जो परम्परा आपने दोबारा से शुरू की है इसका लक्ष्य कई बार ऐसे मुद्दे जो प्रदेश और देश की जानकारी से जुड़े हैं, जो ज्वलन्त हैं, उन पर परिचर्चा करना है । इसमें राजनीतिक विरोध की सीमाएं मिट जानी चाहिए, हमें इन मुद्दों पर चर्चा करते वक्त यह भूल जाना चाहिए कि हम सदन में किस तरफ बैठे हैं । इन पर सुझाव यह आना चाहिए कि किस प्रकार से वर्ग विशेष की जो दिक्कते हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनका हल हम कैसे निकाल सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, Before I proceed मैं कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी ने यह कहा कि यह देश गांव में रहता है, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने यह कहा कि रोजगार सृजनात्मक उद्योग ही देश की तरक्की का आधार बन सकता है, इंदिरा गांधी जी ने यह कहा था कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य गरीब व कूचले वर्गों को सही मायनों में इस देश का मालिक बनाना है । अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी जी ने यह कहा था कि ग्रामीण विकास व गांव के गरीब का उत्थान छोटी इकाईयां एवं कुटीर उद्योग व रिलेटड डिवैल्पमैंट ही बेरोजगारी उन्मूलन का असली रास्ता और मूलमंत्र है । अध्यक्ष महोदय, कॉटेज इंडस्ट्रीज या कुटीर उद्योग की परिभाषा के बारे में Oxford English Dictionary says that "a Cottage Industry is a small business or manufacturing activity carried on a people's home". अध्यक्ष महोदय खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने कॉटेज इंडस्ट्रीज की व्याख्या करने का प्रयास किया । स्पीकर सर, हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हम किस परिधि के अंदर बात कर रहे हैं वह भी जानना जरूरी है, I quote Sir, the Khadi and Village Industry Commissioner Government of India. Being labour intention, Cottage Industry creates employment of opportunities on a substantial scale for the people of rural area particularly for women. It also provides supplementary employments to persons below poverty line at their door-steps. Since, the manufacturing processes are light and simple the handicapped and old people can also get employment. Those cottage industries has been creating socio-economic significance in bringing livelihood to the people thereby preventing migration of villages to urban areas. यह भी एक लक्ष्य छोटे और कुटीर उद्योगों का है । अध्यक्ष महोदय, इस सारी बात को पहचानकर हरियाणा खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड जो है उसके माध्यम से हम रूरल इम्प्लायमैंट जैनरेशन प्रोग्राम चलाते हैं । जो आर०ई०जी०पी० है इसके दो लक्ष्य हैं । अगर दस लाख रुपये तक का लोन है तो मार्जन मनी के तौर पर 25 परसैंट पैसा खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड देगा और यदि 25 लाख रुपये तक का लोन है तो दस परसैंट पैसा मार्जन मनी के तौर पर खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड देगा । मैं आपका और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड हरियाणा की क्या डिवैल्पमैंट रही है किस प्रकार से रोजगार उत्पन्न किया क्योंकि यह भी इस परिचर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा है । मैं सदन को बताना चाहूंगा कि मार्च, 2005 से फरवरी, 2008 तक मौजूदा सरकार के समय में 1869 केसिज हरियाणा खादी और इंडस्ट्रीज बोर्ड ने क्लीयर किए और इसके माध्यम से हमने 13618 लाख 79 हजार या अध्यक्ष महोदय मैं यह कहूं कि 136 करोड़ 18 लाख 79 हजार की राशि 3 साल के अंदर

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

हमने वितरित की है । मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हरियाणा खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की स्कीम के तहत रूरल इम्पलायमैंट स्कीम जो है इससे पचास हजार चार लोगों को पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल में हम रोजगार दे पाए हैं । 31 करोड़ 80 लाख 86 हजार रुपये की मार्जिन मनी जो कि सरकार का हिस्सा था, वह भी इन इकाइयों को दी है जो कि इनके माध्यम से लगाई गई थीं । हरियाणा के गठन के बाद यह अपने आप में एक रिकार्ड भी है । सदन को यह बताते हुए मुझे हर्ष भी हो रहा है और प्रसन्नता भी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं पिछले पांच वर्षों के आंकड़े भी रिकार्ड पर लाना चाहूंगा कि किस प्रकार से खादी और कुटीर उद्योग ने किस प्रकार से हरियाणा खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में तरक्की की है । जब हमें सरकार मिली तब क्या स्थिति थी और इनको बढ़ावा देने में, इनको प्रमोट करने में, इनके उत्थान में ओर इनको आगे ले जाने में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं इस बारे में मैं साल 2000-2001 से फरवरी, 2005 तक के आंकड़े बताना चाहूंगा । 1538 केस पांच साल की अवधि में क्लीयर किए गए । हमने 3 साल में 1869 केस क्लीयर किए हैं और इन केसिज में पिछले पांच वर्षों के इनके शासनकाल में जो राशि दी गई वह कुल 94 करोड़ 79 लाख 92 हजार रुपये की राशि दी गई और इसके विपरीत हमारे तीन साल के कार्यकाल के दौरान इस सरकार ने 136 करोड़, 18 लाख 79 हजार रुपये दिये । ये साथी पांच साल के शासन काल में 19205 लोगों को रोजगार दिलवा पाए जबकि हमने 50004 लोगों को रोजगार दिया है । मार्जिन मनी पिछले पांच वर्षों में 2001 से फरवरी, 2005 तक 18 करोड़ 67 लाख थी और हमने चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने तीन साल के अंदर ही दुगने के करीब 31 करोड़ 80 लाख 86 हजार रुपये की राशि दी है । जो चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार है उनकी छोटे-छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के बारे में नीति क्या है, नीयत क्या है, लक्ष्य क्या है, रास्ता क्या है, मूलमंत्र क्या है यह जीते जागते आंकड़े उसका ज्वलंत प्रमाण है । अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो ग्रामीण रोजगार है और उससे जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं । प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से गांवों में रोजगार उत्पन्न किया जाता है । जिसमें छोटे-छोटे उद्योग जैसे कोई दुकान है या कोई ऐसे व्यवसाय हैं उनके द्वारा हमारे गांव के बच्चों को और गरीब लोगों को रोजगार मिले इसके लिए हम उन बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं । इस योजना के तहत 12500 रुपये की सबसिडी की राशि भी दी जाती है । हरेक क्षेत्र में ट्रेनिंग का प्रावधान भी इसके अंदर है । हम ट्रेनिंग भी करवाते हैं ताकि गांव के गरीब और नौजवान साथी और छोटे-छोटे दुकानदार जो छोटा-मोटा धंधा करें उसमें वे स्किल डिवैल्पमैंट भी कर सकें । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को बताना चाहूंगा कि तीन वर्ष में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा साहब के कार्यकाल में 2005-06 से 2007-08 तक 31491 लोगों को ग्रामीण रोजगार के मामले में नौजवानों को और गरीब आदमियों को इस स्कीम के माध्यम से मदद दी गई है । इसमें हमने 177 करोड़ 98 लाख 81 हजार रुपये की राशि दी है । जिसमें से 12500 रुपये की राशि सबसिडी के तौर पर दी । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने तीन साल में 50004 लोगों को हरियाणा खादी एवं विलेज इण्डस्ट्रीज बोर्ड द्वारा और तकरीबन 31491 लोगों को हरियाणा

खादी एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार दिया है । इस प्रकार कुल मिलाकर 81495 लोगों को मात्र इन दो मदों में लोन देकर मदद की है और रोजगार दिया है । ये आंकड़े दर्शाते हैं कि हमने किस प्रकार की जियोग्राफिकल प्रोग्रैस की है । मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि अगर उसको आज जब पिछले पांच साल के आंकड़ों से कम्पेयर करें तो पता चलता है कि वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2004-2005 यानि पांच साल के अन्तराल के दौरान जब कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी माननीय इन्दौरा साहब की पार्टी की सरकार थी उस समय 38005 केस पांच साल के अन्दर किए गये और 21 करोड़ 87 लाख रुपये की राशि दी गई । इसके विपरीत तीन साल के अन्दर हमने जो राशि दी जैसा कि मैंने आंकड़े दिए हैं यह सरकार की नीतियों का आईना है कि किस प्रकार से लगातर यह संख्या बढ़ाते जा रहे हैं । इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय यह वाजिब चिन्ता जाहिर की है कि कलैस्टर डिवैल्प किये जा रहे हैं आज कोई कहीं जूती बनाने का व्यवसाय करता है कहीं कोई छाज-छलनी का व्यवसाय करता है जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है । आज उन्हें प्रोमोट करना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया से मिलकर कलैस्टर डिवैल्प करने के लिए इस प्रकार के लघु कुटीर उद्योग लगे हैं । हमने जूती बनाने वाले कलैस्टर को इस्माईलाबाद में फाईनैंशियल मदद की है । इसी प्रकार से पटसन और केन का फर्नीचर बनाने के लिए फरुखनगर, गुड़गांव में है उनको फाईनैंशियल मदद की है । लैदर और फुट वीयर बनाने के लिए ओढ़ी गांव जो भिवानी के पास है उनको फाईनैंशियल मदद की है । इसी प्रकार से कढ़ाई और फ्रेम मेकिंग का कलैस्टर गांव तालू, महेन्द्रगढ़ में कुछ फाईनैंशियल मदद पहुंचाई है । इसलिए सरकार को इस बात का ध्यान है । यह नहीं है कि हमने उस तरफ से ध्यान छोड़ दिया है । इसी प्रकार के दूसरे छोटे कुटीर उद्योग हैं सरकार उनको मदद पहुंचा रही है । अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार की एसिसटैंश देने के लिए एक प्रोपोजल बनाकर हरियाणा सरकार ने भारत सरकार को भेजी है । माननीय भारद्वाज ने बड़ी खूबसूरती के शब्दों में कहा कि इस प्रकार के कलैस्टर भिवानी में स्किल्ड डिवैल्प हो रहे हैं जो इनके यहां लकड़ी के मनके बनाते हैं । इसी प्रकार गांव मंगाली, हिसार में भी मनके बनाये जाते हैं उनको भी हमने फाईनैंशियल मदद पहुंचाने के लिए भारत सरकार को लिखा है और वह जल्दी ही मंजूर हो जाएगा । आदरणीय भान साहब ने स्माल स्केल इण्डिस्ट्रीज की चर्चा की । मैं इस सदन का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगा कि स्माल स्केल इण्डिस्ट्रीज को लेकर कई इंसैंटिव हमारी सरकार ने दिए हैं । अध्यक्ष महोदय, स्माल स्केल यूनिट जो बैकवर्ड एरिया में लगाये जाते हैं उनके ऊपर जो वैट का टैक्स लगता है उसकी 50 प्रतिशत राशि पांच साल तक सरकार मुफ्त लोन के तौर पर देती है । पांच साल के बाद हम वापिस लेते हैं जैसे अगर 100 रुपये वैट टैक्स देना है तो 50 रुपये की राशि दें तो पांच साल के लिए वह डैफैर्ड कर दी जाती है और इन्ट्रस्ट फ्री लोन के हिसाब से ट्रीट कर लिया जाता है और पांच साल के बाद वे वापिस कर सकते हैं ताकि जो-जो हमारे प्रान्त के अन्दर पिछड़े क्षेत्र हैं उनके अन्दर ज्यादा से ज्यादा लघु उद्योग आ सकें । अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से फूड प्रोसैसिंग इण्डिस्ट्रीज हैं जैसे कोई पापड़ बनाने का कारखाना लगाना चाहता है, कोई छोटी फैक्ट्री लगाना चाहता है या अचार बनाने के लिए कोई कुटीर उद्योग लगाना चाहता है इनके लिए 75 प्रतिशत वैट टैक्स पांच साल तक माफ किया है और इनको इन्ट्रस्ट फ्री लोन ट्रीट किया जाता है तथा पांच साल के बाद वे वापिस

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

दे दें । 88 ऐसे ब्लॉक हैं जिनके अन्दर हमने ऐसी इण्डिस्ट्रीज को बैकवर्ड घोषित किया गया है और उनके माध्यम से इसी प्रकार से सुविधा दी जाती है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा आपकी अनुमति से कि जो छोटे उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं और बड़े उद्योग हैं किसी भी प्रान्त की तरक्की के लिए कहीं न कहीं ये उद्योग और औद्योगिक क्रांति के नये संचार होते हैं । छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग बहुत महत्वपूर्ण हैं, दूसरे भी महत्वपूर्ण हैं अगर हम आंकड़े देखें तो मौजूदा सरकार के अन्दर जो उद्योग लेकर आये हैं पहले मैं आपको लघु, माध्यमिक उद्योग और छोटे उद्योग उनके आंकड़े देना चाहूंगा । वर्ष 2005-2006 से लेकर वर्ष 2007-2008 यानि तीन साल के अन्तराल में हरियाणा के अंदर 4275 नए लघु उद्योग लगाए गए, इससे जो इन्वैस्टमैंट कैटेलाइज हुई, जो पैसा आया वह तकरीबन 1098 करोड़ 29 लाख रुपये है । इतना पैसा निवेश के तौर पर इन लघु उद्योगों के माध्यम से आया है । इससे 60615 लोगों को रोजगार मिला है । 50004 लोगों को हरियाणा खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के माध्यम से और 31491 लोगों को कुटीर उद्योग बोर्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार मिला है । यानि तकरीबन डेढ़ लाख लोगों को रोजगार की संख्या यही बन जाती है । आदरणीय गौतम जी ने, आदरणीय सुखबीर सिंह फरमाणा ने, आदरणीय बत्तरा साहब ने, तेजेन्द्रपाल सिंह मान ने, भारद्वाज जी ने और गुप्ता जी ने चर्चा की कि क्या कारण थे कि मौजूदा कांग्रेस की सरकार के आते ही लघु उद्योग यहां यकायक लगने लगे, यकायक निवेश पैदा होने शुरू हो गए, यकायक नए रोजगारों का सृजन शुरू हो गया । पिछले सालों के आंकड़े देखें उसमें 2000-01 से लेकर 2004-05 के बीच के 5 सालों में जो लघु उद्योग हरियाणा में आए हैं उनकी संख्या मात्र 3479 थी जबकि हमारे इन तीन सालों में यह संख्या 4275 आई है । पिछली सरकार के 5 सालों में जो निवेश आया है वह है 1856 करोड़ रुपये और हमारा जो 3 साल में निवेश आया है वह है 2477 करोड़ रुपये । उनके समय में 40776 लोगों को रोजगार मिला है जबकि हमारे तीन सालों में 60615 लोगों को रोजगार मिला है तो कहीं न कहीं यह सरकार की नीति और नियति को दर्शाता है । आदरणीय इन्दौरा साहब, मुलाना जी और तेजेन्द्रपाल जी ने भी चर्चा की कि किस प्रकार लघु, कुटीर और छोटे उद्योगों को संरक्षण दे सकते हैं । इन्दौरा जी ने एक सुझाव दिया कि एक कमेटी बना दें जो पूरी तरह से सारी बातों को देखकर इनका संरक्षण करे । इन्दौरा जी ने एक यह भी सुझाव दिया कि लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट की व्यवस्था की जाए, लोन की व्यवस्था की जाए, उन्होंने संसाधन जुटाने पर भी बल दिया । इन्दौरा जी ने ट्रेनिंग की बात की कि जो लोग लघु और कुटीर उद्योगों में लगे हैं उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाए ताकि ये वाकई में प्रोफिटेबल बनें । आदरणीय तेजेन्द्रपाल सिंह जी ने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की लिमिट बढ़ाने की बात कही है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि जहां हम हमेशा रोजगार सृजन करने की बात करते थे वहीं आजाद हिन्दुस्तान में एक और क्रांतिकारी कानून श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली सरकार लेकर आई है कि कानून द्वारा 100 दिन के रोजगार की गारंटी होगी । आज से पहले किसी सरकार ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं दिखाई । नेशनल रूरल इम्पलायमैंट गारंटी एक्ट जिसे देश के 596 जिलों में एक अप्रैल से यू०पी०ए० की सरकार ने लागू किया है । इस प्रकार एक और कानून

हमारी सरकार लेकर आई है, इन्दौरा साहब, यह आपकी जानकारी के लिए भी है and it is called "The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006." यह जो 2006 का कानून है इससे माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्माल इंडस्ट्रीज और मीडियम इंडस्ट्रीज को कानूनी संरक्षण का अमली जामा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्रेडिट की बात की, लिमिट बढ़ाने की बात की। इस कानून के माध्यम से कानून की पुस्तिका में हमेशा-हमेशा के लिए श्रीमती सोनिया गांधी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने लिख दिया कि माइक्रो इंडस्ट्रीज को, मीडियम इंडस्ट्रीज को, स्माल इंडस्ट्रीज को किस प्रकार से किस व्यवस्था से और किस प्रणाली से संरक्षण देंगे। I would like to draw the attention of this House to two-three provisions of this Act. अगर आप इसकी ओपनिंग पढ़ें तो इसमें स्पष्ट लिखा है :--

"An act to provide for facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of micro, small and medium enterprises and for matters connected therewith or incidental thereto.

And whereas it is expedient to provide for facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of micro, small and medium enterprises and for matters connected therewith or incidental thereto."

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं इसके दो-तीन प्रावधानों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो बात इन लोगों ने कही है उसको पहले से ही कानूनी अमलीजामा पहनाया हुआ है। अगर इसकी धारा-7 की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करें जिसमें लिखा है :--

"7. (1) Notwithstanding anything contained in section 11B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the Central Government may, for the purposes of this Act, by notification and having regard to the provisions of sub-sections (4) and (5), classify any class or classes of enterprises, whether proprietorship, Hindu undivided family, association of people, cooperative society, partnership firm, company or undertaking, by whatever name called, —

(a) in the case of the enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the first schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, as

(i) a micro enterprise, where the investment in plant and machinery does not exceed twenty five lakh rupees ;

(ii) a small enterprise, where the investment in plant and machinery is more than twenty five lakh rupees but does not exceed five crore rupees; or"

जो इन्होंने कहा है वह इसमें कवर हो गया है।

"(iii) a medium enterprise, where the investment in plant and machinery is more than five crore rupees but does not exceed ten crore rupees;"

सर, यह हमारी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है।

"(b) In case of the enterprises engaged in providing or rendering of services, as

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

(i) a micro enterprise, where the investment in equipment does not exceed ten lakh rupees ;

(ii) a small enterprise, where the investment in equipment is more than ten lakh rupees but does not exceed two crore rupees ; or

(iii) a medium enterprise, where the investment in equipment is more than two crore rupees but does not exceed five crore rupees."

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the House be extended for 10 minutes ?

Voices : Yes Sir.

Mr. Speaker : The time of the House is extended for ten minutes.

गैर-सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं इसके स्टेचुटरी प्रोविजंस भी पढ़कर सुनाता हूं जिसके सैक्शन-9 में लिखा है :--

"9. (1) The Central Government may, from time to time, for the purposes of facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of micro, small and medium enterprises, particularly of the micro and small enterprises, by way of development of skill in the employees, management and enterpreneurs, provisioning for technological upgradation, providing marketing assistance or infrastructure facilities and cluster development of such enterprises with a view to strengthening backward and forward linkages, specify, by notification, such programmes, guidelines or instructions, as it may deem fit."

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने क्रेडिट फैसेलिटीज के बारे में कहा है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस एक्ट के सैक्शन-10 में हमने पहले ही अमलीजामा पहना रखा है जिसको मैं पढ़कर सुना देता हूं :--

"10. The policies and practices in respect of credit to the micro, small and medium enterprises shall be progressive and such as may be specified in the guidelines or instructions issued by the Reserve Bank, from time to time, to ensure timely and smooth flow of credit to such enterprises, minimize the incidence of sickness among and enhance the competitiveness of such enterprises."

स्पीकर सर, इसके अन्दर तीसरा प्रावधान यह है कि परचेज प्रेफैंस को स्टेचुटरी अमलीजामा पहली बार पहनाया गया है। इससे जो चीजें खरीदनी हैं उनको सरकार के द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी।

.. For facilitating promotion and development of micro and small enterprises, the Central Government or the State Government may, by order notify from time to time, preference policies in respect of procurement of goods and services, produced and provided by micro and small enterprises, by its Ministries or departments, as the case may be, or its aided institutions and public sector enterprises."

वह भी एड कर लिया गया है। सरकार द्वारा सभी एड कर लिये गये हैं। इनके लिए एक स्पैशल फण्ड बनाने का भी प्रावधान किया गया है ताकि इनकी मदद की जा सके। माननीय सदस्य ने जो बात की है मैं उसको और आगे ले जाता हूं। सर, इसमें कहा गया है कि--

"12. There shall be constituted, by notification, one or more Funds to be called by such name as may be specified in the notification and there shall be credited thereto any grants made by the Central Government under section-13.

13. The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, credit to the Fund or Funds by way of grants for the purposes of this Act, such sums of money as that Government may consider necessary to provide."

भारत सरकार एक गारंटी देगी जिससे एक फण्ड बन जायेगा और उससे इन उद्योगों की मदद की जायेगी। सर, इसके अलावा इसी कानून के अन्दर यह प्रावधान भी होगा क्योंकि स्पीकर सर, जो ये छोटे-छोटे लघु एवं कुटीर उद्योग हैं कल को अगर उनसे कोई सप्लाई ले लें और उनको पेमैंट न दें तो वे क्या करेंगे? भारत सरकार उस फण्ड को देगी यह इसमें स्पष्ट लिखा है कि फण्ड बनाया जायेगा और वह फण्ड इसको फिर आगे फाईनैंस करेगा। इस बात को कानूनी अमलीजामा पहनाया जा रहा है। स्पीकर सर, श्रीमती सोनिया गांधी की कांग्रेस सरकार के द्वारा यह बात भी देखी गई कि अगर कोई किसी छोटे और कुटीर उद्योग के मालिक से पैसा ले और पैसा उसको वापिस न दे इस पर वह बेचारा तो अदालतों के अन्दर जायेगा और वर्षों तक निर्णय नहीं होगा इसलिए उसका भी एक नायाब प्रावधान इस कानून के अन्दर किया गया है। Speaker Sir, I would like to draw attention of this August House that in section-15, it is clearly mentioned that —

"15. Where any supplier supplies any goods or renders any services to any buyer, the buyer shall make payment therefore on or before the date agreed upon between him and the supplier in writing or, where there is no agreement in this behalf, before the appointed day :

Provided that in no case the period agreed upon between the supplier and the buyer in writing shall exceed forty five days from the day of acceptance or the day of deemed acceptance."

स्पीकर सर, सैक्शन-16 के अन्दर यह लिखा है कि अगर वह 45 दिन के आगे चला जाये तो उसे छोटे और कुटीर उद्योग को three times of the bank rate of interest देना पड़ेगा। यह भी प्रावधान इसमें किया गया है। अब डिस्प्यूट रिड्रैसल मैकेनिज्म बनाया गया है। इसके लिए एक काऊंसिल बना दी गई है और इस प्रकार के जो विवाद हैं वे सैक्शन-18 के तहत उस काऊंसिल को जायेंगे और अगर कोई व्यक्ति या संस्था लघु और कुटीर उद्योगों

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

के हित में दिए गए उस काऊंसिल के फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहेगा तो उसे 75 प्रतिशत राशि पहले जमा करवानी पड़ेगी । इस प्रकार का सेफ मैकेनिज्म इसमें बनाया गया है और लघु एवं कुटीर उद्योगों की परिभाषा पहली बार सोनिया गांधी जी की सरकार ने बदल दी है और माईक्रो, स्मॉल और मीडियम जो छोटे और कुटीर उद्योग हैं उनके अन्दर भी 3-3 परिभाषायें एड की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंचे । मुझे लगता है कि यह कानून अपने आप में एक इतिहास है और लघु एवं कुटीर उद्योगों के संरक्षण के लिए इस देश के अन्दर उठाया गया आज तक का शायद यह सबसे बड़ा और ठोस कदम है । अध्यक्ष महोदय, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने रोजगार सृजन करने के लिए जो प्रयास किया है उसी का यह नतीजा निकला है । इस बारे में बहुत थोड़े और स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 33 हजार करोड़ रुपये की इन्वैस्टमैंट पिछले तीन सालों में अब तक हमारे पास आ चुकी है जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है । सर, पिछले 40 वर्षों में 42 हजार करोड़ रुपये के करीब इन्वैस्टमैंट हुई थी । हमारे कार्यकाल के दौरान 33 हजार करोड़ रुपये का निवेश अकेले जमीन पर लग चुका है और इसके अलावा 66 हजार करोड़ रुपये के उद्योग इस समय हमारे पास पाईपलाईन में हैं । जिनकी प्रपोजल हमारे पास इस समय रिसीव हो गई है । इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अमेरिका और कैनेडा में यात्रा की थी उससे भी जो रिनाऊन अमेरिकन और कैनेडियन कम्पनियां हैं उन्होंने 3750 करोड़ रुपये का निवेश किया है । स्पीकर सर, स्टेट में अब तक 10,500 करोड़ रुपये की डारेक्ट फॉरेन इनवैस्टमैंट आई है । जो अपने आप में और प्रदेश के इतिहास में एक रिकॉर्ड है । अध्यक्ष महोदय, आपने निर्यात की चिन्ता की थी इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि 2006-07 में प्रदेश का निर्यात 30 हजार करोड़ रुपये का था और इसके अलावा हमारे पास एच०एस०आई०आई०डी०सी० के पास पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप मोड में बहुत से मेगा प्रोजैक्ट आये हैं जिनसे हमारे प्रदेश के अन्दर बहुत सारी इनवैस्टमैंट होगी । एक ऐसा माहौल बनेगा जिसमें रोजगार का सृजन हो और जिसमें छोटे और कुटीर उद्योगों को लाभ मिले । बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योगों को भी लाभ मिले और बड़े उद्योग भी प्रदेश में आयें खेती के अन्दर नई जान आये, नई रोशनी आये । औद्योगिक क्रान्ति से प्रदेश में महरूम न रहे, इस सरकार ने इसके लिए सतत प्रयास किये हैं । यही सब बातें थी जिनका मैं ब्योरा देना चाहता था । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिस कानून की मैंने चर्चा की है वह "National Rural Employment Guarantee Act." है । इसके बाद इन्दौरा जी जो प्रस्ताव लेकर आये हैं उसका कोई महत्व नहीं रह जाता । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि in the light of all issues that he has raised, are already taken care of by this force of statute passed by the Parliament of India. Either he should withdraw his resolution or this House should reject this resolution ?

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही लोग महत्व के विषय पर इस सदन में चर्चा हुई । मैं श्री शादी लाल बत्तरा, श्री नरेश मलिक, श्री रामकुमार गौतम, डॉ० शिवशंकर भारद्वाज, श्री नरेश शर्मा, श्री मान साहब, श्री सुखबीर सिंह फरमाणा, श्री मांगे राम गुप्ता व और साथी जो इस विषय पर बोले हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं तथा बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की और बहुत से

अच्छे सुझाव भी रखे । इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की तारीफ करने के साथ-साथ उन्होंने सरकार को अच्छे सुझाव भी दिये हैं । माननीय मंत्री जी ने भी अपने जवाब में बहुत सी ऐसी बातें बताई जिससे कुटीर उद्योग को लाभ होता है लेकिन उसके बावजूद भी मेरी एक सोच है कि कुटीर उद्योग की तरफ जितना ध्यान देना चाहिए हम उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं । इसलिए मैं चाहूंगा कि संशोधन करके माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव को अपने पास रख लें और इस तरफ थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान दें या कमेटी बनाकर इसका और अध्ययन करवा लें । मैं समझता हूं कि सरकार को इस प्रस्ताव को एडॉप्ट करना चाहिए और इसको पास करना चाहिए ।

Mr Speaker : Question is—

This House expresses its great concern over the continuous demotion of the cottage industries, particularly traditional industries in the State as the cottage industry is only capable to provide employment to the skilled and unskilled labourer class of the rural areas of the State.

The motion was lost.

The resolution was rejected.

44395 —H.V.S.—H.G.P., Chd.